

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2013/ज्येष्ठ 30, 1935

No. 298]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2013/JYAISTHA 30, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 19 मार्च, 2013

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा
उधार देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013**

सा.का.नि. 384(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.3/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(बी) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीख/खों से लागू हुए हैं।

2. विनियमों में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.3/2000-आरबी) (इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में,

(ए) अनुसूची II में,

(i) पैराग्राफ (3) में, उप-पैराग्राफ () के बाद, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 20 अप्रैल 2012 से जोड़ा गया है; अर्थात् :-

"(Xiv) वर्तमान विदेशी मुद्रा उधार का पुनर्निर्धारण

"अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली और विनियमावली के अनुसार विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों की बकाया राशि का पुनर्निर्धारण उप पैराग्राफ () के अंतर्गत, रिजर्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट समग्र लागत की उच्चतम सीमा के तहत इस अनुसूची के अनुसार उधार की उच्चतर लागत पर किया जा सकता है।"

(ii) पैराग्राफ (4) में, उप-पैराग्राफ (i) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसे 20 अप्रैल 2012 से प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात्

"अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली और विनियमावली के अनुसार विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों की बकाया राशि का पुनर्वित्तपोषण, पैराग्राफ (3) के उप पैराग्राफ () के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट समग्र लागत की उच्चतम सीमा के तहत, इस अनुसूची के अनुसार उधार की उच्चतर लागत पर विदेशी मुद्रा में लिए गए नये ऋणों से किया जा सकता है, हालाँकि मूल उधार की अदायगी की बकाया अवधि () कम नहीं की जा सकती है।"

(बी) अनुसूची III में,

(i) पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 11 सितंबर, 2012 से प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात्,

1) समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्था द्वारा भारत में आयातों के लिए—

(ए) केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में संलग्न भारत में निवासी किसी कंपनी के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, पाँच वर्ष तक की मूल देयता अवधि हेतु;

(बी) अन्य निवासी कंपनियों (एंटिटीज) के संबंध में तीन वर्ष से कम की मूल देयता अवधि के लिए

विदेशी मुद्रा में दी गयी क्रेडिट/दिए गए ऋण, जिन्हें इसके बाद 'ट्रेड क्रेडिट' के रूप में संदर्भित किया गया है।

वित्त के स्रोत के आधार पर ऐसी ट्रेड क्रेडिट में आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गयी क्रेडिट अथवा क्रेता की क्रेडिट शामिल होती है।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए, "इंफ्रास्ट्रक्चर" का अर्थ बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अंतर्गत, समय-समय पर, यथा परिभाषित इंफ्रास्ट्रक्चर से है।

(ii) पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 11 सितंबर, 2012 से प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात्,

"विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत अनुमत सभी मर्दों (स्वर्ण को छोड़कर) के आयात के लिए प्रति आयात लेनदेन हेतु एक वर्ष तक की देयता अवधि (पोत लदान की तारीख से) वाली 20 मिलियन अमरीकी डालर तक की ट्रेड क्रेडिट का अनुमोदन प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। पूँजीगत माल के आयात के लिए, 20 मिलियन अमरीकी डालर प्रति आयात लेनदेन हेतु केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में संलग्न भारत में निवासी किसी कंपनी के लिए एक वर्ष से अधिक और पाँच वर्ष तक और अन्य निवासी कंपनियों (एंटिटीज) के संबंध में तीन वर्ष से कम की देयता अवधि की ट्रेड क्रेडिट के लिए प्राधिकृत व्यापारी अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अनुमत अवधि से अधिक अवधि के लिए प्राधिकृत व्यापारी द्वारा रोल-ओवर/विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

[सं. फेमा. 270/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्व प्रभावी होने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
2. मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सा.का.नि. सं.386 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:
 - i. 25 अगस्त, 2000 के सा.का.नि. सं.674(अ),
 - ii. 8 जुलाई, 2002 के सा.का.नि. सं.476 (अ),
 - iii. 31 दिसंबर, 2002 के सा.का.नि. सं.854(अ),
 - iv. 9 जुलाई, 2003 के सा.का.नि. सं.531(अ),
 - v. 9 जुलाई, 2003 के सा.का.नि. सं.533(अ),
 - vi. 23 मार्च, 2004 के सा.का.नि. सं.208(अ),
 - vii. 22 दिसंबर, 2004 के सा.का.नि. सं.825(अ),
 - viii. 9 फरवरी, 2005 के सा.का.नि. सं.60(अ),
 - ix. 22 दिसंबर, 2005 के सा.का.नि. सं.739(अ),
 - x. 16 अक्तूबर, 2007 के सा.का.नि. सं.663(अ),
 - xi. 30 जनवरी, 2009 के सा.का.नि. सं.61(अ),
 - xii. 27 जुलाई, 2009 के सा.का.नि. सं.547(अ),
 - xiii. 23 नवंबर, 2009 के सा.का.नि. सं.836(अ),
 - xiv. 03 अगस्त, 2012 के सा.का.नि. सं.610(अ)
 - xv. 17 नवंबर, 2012 के सा.का.नि. सं. 832(अ),
 - xvi. 11 दिसंबर, 2012 के सा.का.नि. सं. 886(अ),
 - xvii. 21 दिसंबर, 2012 के सा.का.नि. सं. 916(अ),
 - xviii. 26 फरवरी, 2013 के सा.का.नि. सं. 125(अ),

RESERVE BANK OF INDIA**(Foreign Exchange Department)****(CENTRAL OFFICE)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 19th March, 2013

**Foreign Exchange Management
(Borrowing or Lending in Foreign Exchange)
(Second Amendment) Regulations, 2013**

G.S.R. 384(E). —In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6, and sub section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 3/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

1. Short title and commencement :

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Second Amendment) Regulations, 2013.
- (b) They shall be deemed to have come into force from the dates specified in these regulations. @

2. Amendment of the Regulations :

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 3/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the principal regulations')

(A) In Schedule II,

- (i) In paragraph (3), after sub-paragraph (xiii), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 20th day of April 2012, namely:—

“(xiv) Rescheduling of an existing Foreign Currency Borrowing

“Rescheduling of outstanding amounts of loans raised in foreign exchange in accordance with the Act or the Rules and Regulations made thereunder, may be made in accordance with this Schedule at a higher cost of borrowing within the all-in-cost ceiling prescribed by the Reserve Bank, under sub-paragraph (v), from time to time.”

- (ii) In paragraph (4), for sub-paragraph (i), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 20th day of April 2012, namely,

“Refinancing of outstanding amounts of loans raised in foreign exchange in accordance with the Act or the Rules and Regulations made thereunder, may be made by making fresh borrowing in foreign exchange in accordance with this Schedule at a higher cost of borrowing within the all-in-cost ceiling prescribed by the Reserve Bank from time to time, under sub-paragraph (v) of paragraph (3) and the outstanding maturity of the original borrowing is not reduced.”

(B) in Schedule III,

- (i) For paragraph (1), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 11th day of September 2012, namely,

1) Foreign currency credit/loan extended for imports into India by the overseas supplier, bank and financial institution, is hereinafter referred to as 'Trade Credit' –

- a) for original maturity of up to five years, subject to the terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time, in respect of a company resident in India engaged exclusively in the development of infrastructure;
- b) for original maturity of less than three years in respect of other resident entities.

Depending upon the source of finance, such trade credit includes suppliers' credit or buyers' credit.

Explanation : For the purpose of this regulation, infrastructure' means infrastructure as defined under the External Commercial Borrowing (ECB) policy from time to time.

(ii) For paragraph (2), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 11th day of September 2012, namely,

"Authorised Dealers (ADs) in foreign exchange are permitted to approve trade credits up to USD 20 million per import transaction for import of all items permissible under the Foreign Trade Policy (except Gold) with a maturity period (from the date of shipment) up to one year. For import of capital goods, ADs are permitted to approve trade credits up to USD 20 million per import transaction with a maturity period of more than one year and up to five years in respect of a company resident in India engaged exclusively in the development of infrastructure and less than three years in respect of other resident entities. No roll-over / extension will be permitted by the AD beyond the permissible period."

[No. FEMA. 270 /2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:

1. @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.
2. The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. No.386 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:
 - i. No. G.S.R. 674 (E) dated August 25, 2000
 - ii. No. G.S.R. 476 (E) dated July 8, 2002
 - iii. No. G.S.R. 854 (E) dated December 31, 2002
 - iv. No. G.S.R. 531 (E) dated July 9, 2003
 - v. No. G.S.R. 533 (E) dated July 9, 2003
 - vi. No. G.S.R. 208 (E) dated March 23, 2004
 - vii. No. G.S.R. 825 (E) dated December 22, 2004
 - viii. No. G.S.R. 60 (E) dated February 9, 2005
 - ix. No. G.S.R. 739 (E) dated December 22, 2005
 - x. No. G.S.R. 663 (E) dated October 16, 2007
 - xi. No. G.S.R. 61 (E) dated January 30, 2009
 - xii. No. G.S.R. 547(E) dated July 27, 2009
 - xiii. No. G.S.R. 836(E) dated November 23, 2009
 - xiv. No. G.S.R. 610 (E) dated August 03, 2012
 - xv. No. G.S.R. 832(E) dated November 17, 2012
 - xvi. No. G.S.R. 886(E) dated December 11, 2012
 - xvii. No. G.S.R. 916(E) dated December 21, 2012
 - xviii. No. G.S.R. 125(E) dated February 26, 2013